

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

आलयक अहकाम बापजी लाल

11/22 झा.प.

गिक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/5	<p>पञ्चवली प्रभुत वकील प्रणी उप. न. प्रणी ने आज्ञा की जवाब पेश नहीं किया है आ.ता. पेशी पर जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंधक के कट रिजिस्ट्री पञ्चवली वामने जवाब बंधक दिनांक 6/5 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>	
6/5	<p>पञ्चवली आज दिनांक 6/5/25 को पेश हो। जयपुर मु. जयपुर पूना मु. जयपुर</p>	
13/5	<p>पञ्चवली प्रभुत वकील प्रणी उप. न. प्रणी-6/5 को जवाब पेश नहीं किया है आ.ता. जवाब बंधक किया जाता है। पञ्चवली वामने बंधक दिनांक 19/5 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>	
19/5	<p>पञ्चवली प्रभुत व. क. उप. न. उप. पुरु आ.ता. पेशी बंधक करे। पञ्चवली दिनांक 20/5 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>	
20/5	<p>पञ्चवली प्रभुत व. क. उप. न. उप. पुरु की बंधक चुनी गई। प्रणी ने जाहिल किया कि विवादित क्षारगी का बू-प्रबंध विभाग के सेवक 2040-2041 के नवंबर में किये गये परिवर्तन के आधार पर खसरा नम्बर 672 का जो कि हेतु विभाग रास्ते को बंद करे इसलिए क्षारगी को पाबंद किया जाये। प्रणी ने जाहिल किया कि वर्तमान के मौके पर कोई विवाद नहीं है तथा कोई रास्ता बंद नहीं किया है। प्रभुत को व. प. न. प्रणी</p>	




फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

गोलयद कनक रामजीलाल

१२

संख्या : ११/२२

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>के आदेश पर प्राप्ति के हेतु को सत्य प्रमाण नहीं किया जिससे जाटि के कि रास्ता बंद किया जा रहा है ऐसी स्थिति में पुष्प इसका मागला, अपूर्णता शक्ति प्राप्ति के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण तस्वीर निवेदन प्रारित किया जाता है पत्रावली के सज श्रुत होकर दायिल पत्रा (है)</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर </p>